बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः– स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत आशा (ASHA-Accredited Social Health Activist) एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सक की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत चार लाख रूपया अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति के संबंध में।

1 स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत सभी चिकित्सकों (आयुष एवं दंत चिकित्सकों सहित)/राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कार्यरत आयुष चिकित्सक राज्य की चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने में अहम् भूमिका निभा रहे हैं, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवा में गुणात्मक परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है।

2. राज्य में समुदाय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु आशा (ASHA-Accredited Social Health Activist) कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आशा कार्यकर्ता द्वारा मुख्य रूप से माताओं और शिशुओं के लिए पोषक तत्वों, स्वच्छता और सफाई के साथ स्वस्थ वातावरण के निर्माण के अतिरिक्त उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और उसकी उपयोगिता के बारे में समुदाय को जागृत किया जा रहा है। साथ ही, आशा के द्वारा प्रसव पूर्व तैयारी, सुरक्षित प्रसव के महत्व, धातृ माताओं के द्वारा कराये जाने वाले स्तनपान, नियमित टीकाकरण, गर्भ निरोधकों के सही उपयोग एवं सामान्य संक्रमणों से बचाव के साथ प्रजनन अंगो में होने वाले संक्रमण से बचाव हेतु परामर्श दिया जाता है। आशा कार्यकर्ता द्वारा परिवार नियोजन हेतु उत्प्रेरक का कार्य प्रशंसनीय है। राज्य में लगभग 83,624 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आशा कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकृति के कार्यों के लिए विभिन्न मदों से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है।

3. आशा के समुचित प्रयास के फलस्वरूप राज्य में जहां एक ओर संस्थागत सुरक्षित प्रसव में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है, जो उनके अथक अहर्निश प्रयास का ही प्रतिफल है। विषम परिस्थितियों में इनके अमूल्य योगदान को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ता की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को योजनान्तर्गत चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

4. अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सक (आयुष एवं दंत चिकित्सक सहित) का राज्य के स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने मे काफी सराहनीय प्रयास रहा है। अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों में विशिष्टता प्राप्त चिकित्सक भी हैं तथा उन सब की सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ली जा रही है। अतः राज्य सरकार ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि आशा एवं अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों (आयुष एवं दंत चिकित्सक सहित) की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा।

5 अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान के लिए योजना मद शीर्ष के संबंध में वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की 500 (पांच सौ) प्रतियां बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित की जाय तथा विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03/02/2016

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/प0–विविध–08–43/2015/85(12)/पटना, दिनांक 03/02/2016

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । निदेश है कि संकल्प की पांच सौ प्रतियां विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

03/02/2016

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/प0–विविध–08–43/2015/85(12)/पटना, दिनांक 03/02/2016

प्रतिलिपिः–I महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

II. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/02/2016

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/प0–विविध–08–43/2015/85(12)/पटना, दिनांक 03/02/2016

प्रतिलिपिः–मुख्य मंत्री सचिवालय /मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त, के सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के आयुक्त के सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/2016

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/प0–विविध–08–43/2015/85(12)/पटना, दिनांक 03/02/2016

प्रतिलिपिः–I. मंत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

II. सरकार के सभी विभाग/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी जिला उप विकास आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

III. सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/02/2016

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/प0–विविध–08–43/2015/85(12)/पटना, दिनांक 03/02/2016

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/02/2016

सरकार के संयुक्त सचिव।